

पत्रांक-10/न4-25/07 मा0-----/
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार ।

प्रेषक,

कमरेदार प्रसाद सिंह,
निदेशक मा0 वि01, बिहार ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक-

विषय:- शक्ति शान्ति एकेडमी अम्बिका स्थान, आमी, सारण को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में ।


महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अध्यापना संख्या-238 दिनांक-3-4-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, छपरा से प्राप्त प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा शक्ति शान्ति एकेडमी अम्बिका स्थान, आमी, सारण को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुमति की गयी है । समिति की अनुमति के आलोक में समीक्षीपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

1. विद्यालय का संचालन निर्बंधित शक्ति शान्ति ट्रस्ट, पटना द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निर्बंधित सौताईटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने को प्रमाण-पत्र समर्पित किया है । ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है, परन्तु सभी का पेशा सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है । सामाजिक कार्यकर्ता एक सामान्य शब्द है । इसी वास्तविक व्यवसाय का पता नहीं चलता है । शर्तों के अनुसार विद्यालय के ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य के वास्तविक पेशे को स्पष्ट करना चाहिए । सदस्यों की सूची संलग्न है ।

2. विद्यालय ने किसी निर्बंधित सौताईटी/न्यास के फ्रन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रेड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है ।

3. विद्यालय को निर्बंधन के माध्यम से 12-02-05-131 दो रकड़ दो कदम पांच धूर तेरह धुकी भूमि 31 कर्ष के लीज पर उपलब्ध है, जिस पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुसार कमरे निर्गत है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तथा निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुसार है ।


Principal

Shakti Shanti Academy
Ambika, Sthan, Ami (Saran)
Affiliated to C.B.S.E. Delhi
School Afft. No.-330230


Secretary

Shakti Shanti Academy
Ambika, Sthan, Ami (Saran)
Affl. to C.B.S.E. No.-330230

4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने की दावा की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रविष्टता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुसू है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अक्षय तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिक्रिया सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है।

विद्यालय अपने आश्वासन के अनुसू कार्रवाई करें इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।


7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-3-4-2006 में उल्लेखित अधिसूचित शर्तों स्वीकार है। अधिसूचित शर्तों के अनुसार:-

1.11 विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे दूरस्थ शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकारें तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- ताठ हजार रुपये प्रतिवर्ष होगी।

1.11.1 विद्यालय में नर्सरी/केजी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार/बच्चों एवं माता/पिता सहित नहीं किया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो कुछ तरीका से Draw of lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

1.11.1.1 नर्सरी/केजी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किमीमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किमीमीटर तक रहेगी।

1.11.2 जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।


Principal

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जांच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर तैयार है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं औद्योगिक शक्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शक्ति सार्वजनिक करनी होगी तथा झाका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शक्तों के उल्लेख की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक-18-1-2008 द्वारा शिक्षक/जत्रों को शहरी रिक डेड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शक्तों के आधार पर तथा शक्ति शक्ति एकेडमी, अम्बिका स्थान, आमी, सारण, बिहार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

80/-

। कमलेश्वर प्रताप सिंह ।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

धन्यार्थ/

ज्ञापक-

344

पटना, दिनांक- 28/3/08

प्रतिलिपि- शक्ति शक्ति एकेडमी, अम्बिका स्थान आमी, सारण, बिहार

को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/3/08

। कमलेश्वर प्रताप सिंह ।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

27/3/08

Principal

Shakti Shanti Academy
Ambika, Sthan, Ami (Saran)
Affiliated of C.B.S.E. Delhi
School Aft. No.-330230

Attested
Secretary
Shakti Shanti Academy
Ambika, Sthan, Ami (Saran)
Affl. to C.B.S.E. No.-330230